भारत सरकार
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या *221
दिनांक 09 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

ब्रांडेड तथा जेनरिक दवाइयां

***221. श्री दीपक बैजः**

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रांडेड तथा जेनरिक दवाइयों की कीमत में कितना अंतर है तथा कंपनियों द्वारा निर्मित ब्रांडेड दवाइयों की कीमत के निर्धारण हेतु विद्यमान तंत्र का ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या कंपनियां ब्रांडेड दवाइयों की कीमतों का निर्धारण करने के लिए स्वतंत्र हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) रोगियों को जेनरिक दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधान मंत्री जन औषधि योजना के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान खोले गए औषधि केन्द्रों की राज्य-वार संख्या कितनी है;
(घ) क्या जेनरिक औषधि केन्द्रों में दवाइयां उपलब्ध नहीं होती हैं जिसके कारण रोगियों को मजबूरन ब्रांडेड दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं; और
(ङ) उक्त योजना के प्रचार-प्रसार के लिए उक्त अवधि के दौरान व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>
<u>रसायन एवं उर्वरक मंत्री (श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा)</u>

(क) से (ङ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

<u>ब्रांडेड और जेनरिक दवाइयों से संबंधित दिनांक 09.07.2019 को पूछे जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *221 के उत्तर में संदर्भित विवरण</u>

(क) और (ख): राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) डीपीसीओ के प्रावधानों के अनुसार औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 (डीपीसीओ) की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसूचित दवाइयों के अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। अनुसूचित दवाइयों (ब्रांडेड या जेनरिक) के सभी विनिर्माताओं को एनपीपीए द्वारा निर्धारित अधिकतम मूल्य (लागू स्थानीय करों सहित) के अन्दर ही अपने उत्पादों को बेचना होता है। कोई भी विनिर्माता अपने द्वारा प्रारंभ किए गए किसी गैर-अनुसूचित सम्मिश्रण (ब्रांडेड एवं जेनरिक) का अधिकतम खुदरा मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होता है। तथापि, डीपीसीओ के अनुसार, गैर-अनुसूचित सम्मिश्रणों के विनिर्माताओं को इस तरह के सम्मिश्रणों के अधिकतम खुदरा मूल्य को प्रतिवर्ष 10 % से अधिक बढ़ाने की अनुमति नहीं है।

प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) के तहत बेची जाने वाली दवाइयां जेनरिक होती हैं और सदृश दवाइयों के शीर्ष तीन ब्रांडों के औसत मूल्य से 50-90 प्रतिशत तक सामान्यत: सस्ती होती हैं।

(ग): पिछले पांच वर्षों में अर्थात् 01.04.2014 से 31.03.2019 तक, कुल 5028 प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना (पीएमबीजेपी) केंद्र देश भर में खोले गए हैं। इसका राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(घ): पीएमबीजेपी की उत्पाद संख्या में 900 दवाएं और 154 शल्य चिकित्सा एवं उपभोज्य सामग्रियां सम्मिलित हैं। इस उत्पाद संख्या में से, 714 दवाएं और 53 शल्य चिकित्सा सामग्रियां पीएमबीजेपी केंद्रों में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। 24 दवाओं और 90 शल्य चिकित्सा सामग्रियों की खरीद के लिए क्रय आदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं और ये दवाएं/शल्य चिकित्सा सामग्रियां अगले दो महीनों में पीएमबीजेपी केन्द्रों पर बिक्री के लिए उपलब्ध होंगी। 162 दवाओं और 11 शल्य चिकित्सा सामग्रियों के लिए, पिछली दो निविदा में कोई भी बोली प्राप्त नहीं हुई थी। अपेक्षित दवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ङ): पीएमबीजेपी के प्रचार पर व्यय राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**राशि (करोड़ रुपए)**
1.	2014-15	0.52
2.	2015-16	0.94
3.	2016-17	2.61
4.	2017-18	4.74
5.	2018-19	6.60

अनुलग्नक

01.04.2014 से 31.03.2019 तक खोले गए पीएमबीजेपी केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा							
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2014-15**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**कुल**
1	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0	0	2	2
2	आन्ध्र प्रदेश	0	0	53	81	45	179
3	अरूणाचल प्रदेश	0	0	14	10	0	24
4	असम	0	0	16	36	24	76
5	बिहार	0	1	3	99	46	149
6	चंडीगढ़	0	0	1	0	1	2
7	छत्तीसगढ़	0	108	36	51	11	206
8	दादर एवं नगर हवेली	0	0	0	7	6	13
9	दमन एवं दीयू	0	0	0	3	1	4
10	दिल्ली	0	4	6	29	35	74
11	गोवा	0	0	0	0	8	8
12	गुजरात	0	7	82	159	227	475
13	हरियाणा	1	2	17	58	61	139
14	हिमाचल प्रदेश	0	2	5	14	26	47
15	जम्मू एवं कश्मीर	5	0	5	17	21	48
16	झारखंड	0	0	8	28	10	46
17	कर्नाटक	0	1	27	256	191	475
18	केरल	0	3	157	167	123	450
19	मध्य प्रदेश	1	2	16	44	71	134
20	महाराष्ट्र	1	11	41	140	126	319
21	मणिपुर	0	0	0	35	0	35
22	मेघालय	0	0	0	1	0	1
23	मिजोरम	1	0	2	5	9	17
24	नागालैंड	0	0	11	0	4	15
25	ओडिशा	1	1	5	47	72	126
26	पुडुचेरी	0	0	0	11	3	14
27	पंजाब	0	2	3	57	66	128
28	राजस्थान	0	1	20	68	31	120
29	सिक्किम	0	0	0	2	0	2
30	तमिलनाडु	0	0	38	253	207	498
31	तेलंगाना	0	1	16	61	34	112
32	त्रिपुरा	3	3	1	14	2	23
33	उत्तर प्रदेश	1	5	122	380	299	807
34	उत्तराखंड	0	0	16	79	66	161
35	पश्चिम बंगाल	0	0	4	52	43	99
	कुल	**14**	**154**	**725**	**2264**	**1871**	**5028**

*लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम ब्यूरो (बीपीपाआई) से पीएमबीजेपी दवाओं की सीधी खरीद कर रहा है और इन दवाओं को आम जनता को नि:शुल्क प्रदान करता है।